2. पुलिस अधीक्षक/सेनानी/इकाई प्रमुख के लिये

2. (अ) अनुबंधित चिकित्सालय में कैशलेस उपचार हेतु रैफरल की कार्यवाही

कर्मचारी द्वारा उपचार/सर्जरी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर इकाई प्रमुख द्वारा संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी के परामर्श पर मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा न्यास के साथ अनुबंधित प्रदेश या प्रदेश बाहर स्थित संबंधित बीमारी के उपचार हेतु मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय में कैशलेस उपचार हेतु रैफरल/उपचार की अनुमति निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–2) में, स्वीकृति योग्य अथवा शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा के अंतर्गत प्रदान की जाऐगी । (परिपत्र 1705/13 दिनांक 01.11.2013 का बिन्दु कमांक–1)

1. (ब) शासकीय अथवा गैर–अनुबंधित निजी चिकित्सालय में उपचार हेतु चिकित्सा अग्रिम प्रदान करने हेतु

संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी के परामर्श पर राज्यशासन से मान्यता प्राप्त राज्य के भीतर अथवा बाहर स्थित योजना के तहत गैरअनुबंधित निजी चिकित्सालय एवं शासकीय चिकित्सालयों जहाँ उपचार कराये जाने हेतु रेफरल पत्र की आवश्यता नहीं है, में उपचार हेतु चिकित्सा अग्रिम चाहने बाबत संबंधित के वसूली सहमति पत्र, पीएआर (प्रपत्र–5),मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अनुशंसा सहित पत्र अति.पुलिस महानिदेशक (कल्याण) पुलिस मुख्यालय को भेजेगें ।

1. (स) आकस्मिकता प्रकरण में रैफरल

चिकित्सालय से मउमतहमदबल ॅकउपेपवद बमतजपपिबंजमए ᄇ।ᄅ प्राप्त होने पर अविलम्ब मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अनुशंसा प्राप्त कर इकाई प्रमुख द्वारा रैफरल पत्र जारी किया जायेगा ।

2. (द) इकाई प्रमुख द्वारा उपचार उपरान्त देयक प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्यवाही

मध्य प्रदेश शासन गृह पुलिस विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–3/92/ 2012/बी–3/दो भोपाल दिनांक 19 अगस्त 2013 के बिन्दु 5 (ख), (घ) के अनुसार उपचार उपरान्त अनुबंधित चिकित्सालय से प्राप्त देयकों का संबंधित इकाई के लिपिक द्वारा परीक्षण किया जावेगा एंव नियमानुसार उपयुक्त पाये जाने पर रैफरल का परामर्श देने वाले मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी से मेडिकल बिल प्रति–हस्ताक्षरित कराने के उपरान्त आहरण हेतु कोषालय भेजा जाकर निर्धारित 45 दिवस की अवधि में चिकित्सालय को भुगतान किया जावेगा ।

इकाई में बजट की अनुपलब्धता की स्थिति में इकाई प्रमुख बजट की मांग हेतु पत्र पुमनि(योजना) बजट शाखा को लेख करते हुये प्रतिलिपि, एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित देयक ;प्रारूप फार्म–1, नियम–8(1)द्ध की छायाप्रति सहित चिकित्सालय को सीधे भुगतान करने हेतु पुलिस मुख्यालय की कल्याण शाखा को प्रेषित करेगें, जिसका समायोजन बजट प्राप्त होने एवं चिकित्सा देयकों के आहरण पश्चात इकाई प्रमुख द्वारा कल्याण निधि में किया जावेगा ।